



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 620-पारे०अनु०-04/पाद्राकालि-2023-18/14 टी०सी०-।

दिनांक: 15 सितम्बर, 2023

**कार्यालय ज्ञाप**

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी०सी०, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 17/2022/आई/202175/2022/फा०नं०-10-22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण के सम्बन्ध में दो पारिवारिक पेंशनों की देय अधिकतम दर/धनराशि की सीमा को संशोधित कर तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये हैं। उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत व्यवस्था/प्राविधान को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-1234-पे०एवंआर०-28/पाकालि/23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश, दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश, दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों में आदेश निर्गतन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा, अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या : शासनादेश संख्या : 3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी०सी०, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 17/2022/आई/202175/2022/फा०नं०-10-22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त, 2022 की अनुरूपता में निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-1234-पे०एवंआर०-28/पाकालि/23-60-पी-98 टीसी-2023, दिनांक 21.07.2023 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उपरोक्त शासनादेशों को उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से यथावत्/सम्पूर्णता में इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश, दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश, दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों में आदेश निर्गतन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा, अंगीकृत किया जाता है।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**

संख्या-620(i)-पारे०अनु०-04/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
- 7- संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या-92(27) के सन्दर्भ में।
- ✓ 13- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
*Satyam*  
(सत्याम गंगवार)  
उप सचिव (पारेषण-तृतीय)



प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2016

विषय:- नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92, दिनांक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी है वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह, जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह तथा जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/- प्रतिमाह होगी।

2- दिनांक 01-01-2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अतः दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये हैं:-

- (1)- यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
  - (2)- जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
  - (3)- जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो वहाँ उनका योग रू0 9,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।
- 3- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।
- 4- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशन पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशन बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।
- 5- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,  
अजय अग्रवाल  
सचिव, वित्त।



संख्या-3/2016/सा-3-03(1)/दस-2016-19/92 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
नील रतन कुमार  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



संख्या-17/2022 /आई/202175/2022/फा0नं0-10-22099/218/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।  
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार से संशोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं:-

- (1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
- (2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
- (3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 9000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अतः दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि की सीमा को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

- (1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हों, तो उनका योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।
- (2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।



(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 67,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 30 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

4- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे, जिनको सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं, चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुयी हो।

5- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थीं परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरिअर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

6- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु पृथक से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी  
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ।
- 4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव





उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
14-अशाक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ  
U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1234-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23-80-पी-98 टीसी-2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी०सी०, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 17/2022/आई/202175/2022/फा०न०-10-22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त 2022 जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण के सम्बन्ध में दो पारिवारिक पेंशनों की देय अधिकतम दर/धनराशि की सीमा को पूर्व शासनादेशों के अनुक्रम में संशोधित कर तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये हैं, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से यथावत्/सम्पूर्णता में इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई ऐरियर देय नहीं होगा, अंगीकृत किया जाता है।


निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1234-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या-192(51) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,



(शमशाद अहमद)

अपर सचिव (तृतीय)